

#1559

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौडगढ (राज.)



(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - निम्बाहेडा)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1432

दायर दिनांक 16/12/2025 निर्णय दिनांक 16/12/2025

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>बालाडा</u>	<u>251,254</u>	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	तहसालीदर कपासन की अनुशषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>बालाडा</u> प.ह. <u>बालाडा</u> खातासं <u>251,254</u> में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी	शुद्ध प्रविष्टी
			बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>कपासन</u>	राजस्थान ग्रामीण बैंक <u>कपासन</u>
			हस्ताक्षर पटवारी <u>DR</u> पटवार मण्डल <u>16/12/25</u> <u>बालाडा</u> तहसील कपासन	हस्ताक्षर गिरदावर <u>DR</u> हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
				पदेन सहायक कलक्टर कपासन

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल बालाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

तहसीलदार कपासन